की क्रमांक व तिथि 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही 3

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद सं0 26/2017–18
होपना मराण्डी –बनाम– बिरेन साहा वगै0

–: आदेश :–

14.4.2019

यह वाद पतना अंचल के रांगा थाना अन्तर्गत मौजा चुटिया के प्रधान पद नियुक्ति से संबंधित है, जो अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पी0ए0 वाद संख्या 37A/2009-10 (बिरेन साहा –बनाम– 16 अएना रैयत) में दिनांक 04.08.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.02.2018 को दायर अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है।

प्रथम पक्ष:–अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि मौजा चुटिया एक आदिवासी प्रधानी मौजा है। मौजा के प्रधानी जोत जमीन आदिवासियों के दखल कब्जा में रहते आया है। उत्तरवादी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के न्यायालय में चुपके से प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दायर कर अपने पक्ष में आदेश प्राप्त कर लिया है, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। अपीलार्थी के उपर क्रि0मिस केस दायर कर प्रधानी जोत जमीन खाली करने हेतु न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पश्चात् ही यह जानकारी हुआ कि उत्तरवादी गलत रूप से प्रधान नियुक्त हो चुके है। तब उनके विरूद्ध अपील दायर किया।

उनका यह भी कहना है कि उत्तरवादी गैर आदिवासी समुदाय के सदस्य है। इस ग्राम में गैर आदिवासी के रूप में उत्तरवादी का मात्र एक परिवार है। बाकी पूरा ग्राम में आदिवासी समुदाय ही निवास करते है। पूर्व में आदिवासी समुदाय के ही नियुक्त प्रधान थे। यह मौजा दामिन–ई–कोह क्षेत्र का है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत् दामिन–ई–कोह क्षेत्र में गैर आदिवासी समुदाय के सदस्य को प्रधान नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। उनका यह भी कथन है कि अंचल अधिकारी, पतना द्वारा गलत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरवादी को प्रधान नियुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के पूर्वज जमाबंदी नं0 1 का रैयत रहा है। इस मौजा का प्रधान का नियुक्ति उसी जमाबंदी के बंशज से ही किया जाना चाहिए था। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा नियम के विरूद्ध उत्तरवादी को प्रधानी पद के लिए नियुक्त किया गया है। अनुरोध है कि निम्न न्यायालय द्वारा पी0ए0 वाद संख्या 37A/2009-10 में दिनांक 04.08.2010 को पारित आदेश को रद्ध करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

द्वितीय पक्ष:–उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि उत्तरवादी के पिता स्व0 हुरू साहा दिनांक 19.12.1984 से चुटिया मौजा का प्रधान थे। उनकी मृत्यू वर्ष 2008 में हो गई। उनके मृत्यु के पश्चात् उत्तरवादी बिरेन साहा की बहाली पी0ए0 वाद संख्या 05/2002–03 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत प्रधानी पद पर हुआ है। उनका यह भी कथन है कि पूर्व में उपायुक्त के न्यायालय में जिछु हेम्ब्रम –बनाम– बिरेन साहा वगै0 का अपील दायर हो चुका है, जिसमें उपायुक्त द्वारा उक्त वाद का निष्पादन हेतु अपर उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया है। अपर उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय में रे0मिस0 अपील नं0 24/2011–12 अंकित करते हुए दोनों पक्षों को सुना गया तथा उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। पुनः उक्त विवाद को लेकर उपायुक्त महोदय के समक्ष अपील दायर किया गया है, जो नियम के विरूद्ध है। उक्त आदेश की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

उनका यह भी कथन है कि उत्तरवादी के पिता हुरू साह के द्वारा गयुस हेम्ब्रम एवं अन्य के विरूद्ध आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका में भी अपील दायर हुआ था, जिसमें

Scanned with CamScanner

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे... गई...
1	2	

उत्तरवादी के पिता के पक्ष में आदेश पारित हुआ है। अपीलार्थी प्रधानी जोत को जबरन दखल किये हुए है, जिसके कारण आर0ई वाद संख्या 12/2015–16 दायर किया गया। दिनांक 22. 10.2016 को उत्तरवादी के पक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा आदेश पारित किया गया है। यह अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। सभी तथ्यों पर मनन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील तथ्यहीन है। दायर अपील आवेदन पर पुनः नये सिरे से निर्णय लिया जाना नियम संगत नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश उभय पक्षों को दिखावें।

लेखापित एवं संशोधित।

24/04/19

उपायुक्त,
साहेबगंज।

24/04/19

उपायुक्त,
साहेबगंज।

Scanned with CamScanner